राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	887/2023 **पूनम मल्होत्रा बनाम ईशरा** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/02/2026 को पेश हो |	
16/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि ग्राम ईश्वरीसिंह पटवार हल्का फूटोलाव तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 22 रकबा 7.27 हैक्टेयर अनुसार स्थित है । जिसमें मुताबिक खातेदारी प्रार्थी काबिज काश्तकार है। प्रार्थी की काश्तकारी भूमि सम्पति में आवागमन हेतु राजस्व रिकार्ड में किसी भी दिशा से रास्ता अंकन नही है। ग्राम भौण्डा पटवार हल्का फूटोलाव में अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 226 रकबा 1.75 हैक्टेयर के पूर्व में प्रार्थी के आवागमन का रास्ता है जिसको नजरी नक्शे में प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 22 के लगवा अप्रार्थी के खसरा नम्बर 226 की भूमि स्थित है तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन हेत अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 226 के अन्तर्गत लग्न नजरी नक्शे अनुसा 16 फीट चौडाई अनुसार रास्ता प्रार्थी के उपयोग उपभोग में चला आ रहा है। जिसमें से होकर आवागमन करने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवाद किया जाता है । अतः अप्रार्थी संख्या 1 राज्य सरकार से रास्ते का प्रस्ताव लेकर नजरी नक्शें मं प्रदर्शित अनुसार ग्राम ईश्वरीसिंहपुरा में प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 22 की भूमि में आवागमन हेतु ग्राम भौण्डाखेडा में अप्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 226 की भूमि में होकर 16 फीट चौडाई अनुसार गै०मु०आम रास्ता कायम करते हुए गै.मु. रास्ते को जमाबन्दी खतौनी व राजस्व नक्शें मं राज्य सरकार के अमल दरामद इन्द्राज करने के आदेश दिये जायें | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी | तत्पश्चात पैरोकार सरकार कि से जवाब प्रस्तुत किया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07/08/2023 पारित करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	पूनम मल्होत्रा बनाम ईशरा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
887/2023		

धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर रास्ता कायमी के आदेश पारित किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को सही रूप से विवेचित कर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये रास्ता कायमी का आदेश प्रदान किया जाना जाहिर होता है | विधिअनुसार भी खातेदार/कृषक को उन्नत कृषि हेतु अपनी खाते की आराजी तक कृषि साधनों की पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु रिकार्डेड रास्ता प्रदान किया जाना आवश्यक होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07/08/2023 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 16/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |